रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2003/श्रावण 10, 1925
No. 696] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2003/SRAVANA 10, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

आय-कर

का.आ. 886(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**चौदहवाँ संशोधन**) नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) भाग 6 में, नियम 29ग में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

" (1क) धारा 197क की उपधारा (1ग) के अधीन भारत में निवासी किसी व्यष्टि द्वारा जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष की आयु या उससे अधिक का है, और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आयकर की रकम से कटौती का हकदार है, घोषणा प्ररूप सं0 15छ में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी । ";

(ii) उपनियम (2) में, " उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्

" या उपनियम (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपनियम (3) में, "उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "या उपनियम (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं0 15छ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'प्ररूप सं0 15ज

[नियम 29ग (1क) देखिए]

कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले किसी व्यष्टि द्वारा जो पैंसठ वर्ष की आयु या उससे अधिक का है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 197क की उपधारा (1क) के अधीन की जाने वाली घोषणा

मैं/.....जो.....का *पुत्र/की पुत्री/की पत्नी हूं और.....@ का/की/के निवासी हूं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि-

1. ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों / रकमों जिनकी विशिष्टियां नीचे अनुसूची में दी गई हैं, मेरे नाम में हैं और वे फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं, और ऐसी *प्रतिभूतियों / रकमों और / या आय की बाबत उनका लाभांश / ब्याज आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से धारा 64 तक के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है / हैं ;

या

राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन मेरे खाते और निकासी की गई रकम की विशिष्टियां नीचे अनुसूची के अनुसार हैं ;

अनुसूची

विनिधान का वर्णन और ब्यौरा	विनिधानित रकम	* विनिधान / खाता खोलने की तारीख	प्राप्त की जाने वाली प्राक्कलित आय

2. मेरा वर्तमान व्यवसाय.....है ;

3. मेरी आयु ————वर्ष है और मैं धारा 88ख में निर्दिष्ट कुल आय पर आय कर की रकम से कटौती का हकदार हूं ;

4. मेरी प्राक्कलित कुल आय पर जिसके अन्तर्गत नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट आय / आयें भी हैं, निर्धारण वर्ष....-.....से सुसंगत.....(तारीख) को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित कर शून्य होगा ;

5 मेरा इससे पहले किसी भी समय आय-कर के लिए निर्धारण नहीं किया गया है, किन्तु मैं मुख्य आय-कर आयुक्त ———— या आय-कर आयुक्त, ...की अधिकारिता के अंतर्गत आता हूं ;

6. *मैं आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी हूं/नहीं हूं ;

———————

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

*मैं..... यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर कथन किया गया है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित किया गया है ।

आज, तारीख.....को सत्यापित किया गया ।

स्थान.....

.....

घोषणकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. @ डाक का पूरा पता लिखें ।

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए ।

3. *जो लागू न हो, उसे काट दें ।

4. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना सत्य, सही और सभी प्रकार से पूर्ण है । घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित से दंडनीय होगा-

   (i) उस मामले में, जहां अपवंचित किया जाने वाला कर एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगा, किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से ;

   (ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से ।

भाग 2

[उस व्यक्ति के उपयोग के लिए, जिसे घोषणा भेजी जाती है]

1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता ।

2. वह तारीख, जिसको घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा प्रस्तुत की गई थी ।

3. लाभांश की घोषणा */ वितरण या संदाय/राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाता सं0.....से प्रत्याहरण की तारीख ।

4. वह अधवि, जिसकी बाबत *लाभांश की घोषणा की गई है/ब्याज जमा या संदत्त किया जा रहा है / यूनिटों की बाबत आय जमा या संदत्त की जा रही है ।

5. *लाभांश/ब्याज या यूनिटों की बाबत आय/राष्ट्रीय बचत स्कीम खाता से प्रत्याहरण की रकम ।

6. *वह दर, जिस पर, यथास्थिति, ब्याज या यूनिटों की बाबत आय को जमा/संदत्त किया जाता है ।

आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान.....

तारीख..... .....

पैरा 1 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने
के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर"

[अधिसूचना सं. 189/2003/फा. सं. 142/25/2003-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 26 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 31-7-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 879(अ) के तहत आयकर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2003 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।